दिनांक 09.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 311/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बांदा तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बांदा तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई द्वारा श्री सत्यप्रकाश सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट से धारा 82 आबादी श्रेणी भूमि निरस्तीकरण कर कृषि भूमि में परिवर्तन कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक राम आसरे त्रिपाठी के नेतृत्व में मैकी मोड तिराहा प्रयागराज रोड चित्रकूट से **1- रविशंकर द्विवेदी (लेखपाल)** पुत्र स्व0 राममूरत द्विवेदी निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट **2-लवलेश कुमार पाण्डेय (प्राइवेट मुंशी)** पुत्र स्व0 बल्देव प्रसाद निवासी ग्राम रूखमाखुर्द थाना बाहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा श्री राम हुकुम मौर्य निवासी ग्राम रमुवापुर थाना रिसिया जनपद बहराइच से छेडखानी की धारा बढ़ाकर जेल न भेजने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रिसिया जनपद बहराइच से **उ0नि0 सुभाष चन्द्र चौहान (थाना रिसिया जनपद बहराइच)** पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान निवासी ग्राम टेकुआ पाटी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 09.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 312/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कौशाम्बी/थाना चरवा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08.06.2026 को थाना चरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंसौर तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त मिथुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 06 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कौशाम्बी व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चरवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मिथुन निवासी मन्दर देह माफी थाना पूरामुफ्ती कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 06 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.06.2026 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम निवासी ग्राम इचौली थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08.06.2026 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इकनौर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—राज उर्फ कौशल 2—आशीष कुमार उर्फ भोला घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—शिवा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राज उर्फ कौशल निवासी गुलजार नगर थाना बकेवर जनपद इटावा।

2–आशीष कुमार उर्फ भोला निवासी टिलीटिला थाना बकेवर जनपद इटावा।

3–शिवा निवासी भवानीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी के 15 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद सम्भल/थाना कुढ़फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना कुढ़फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/364क भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रेमपाल 2–नरेश को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लोहता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना लोहता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट /थाना मऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/302/201

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमल बिहारी को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना पीपीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पीपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेष को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना बहरन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना बहरन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आमीन उर्फ आमिर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————